न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 47 / 16

तारीख रजू– 08 / 03 / 16

गंगाधर पुत्र ओकार जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुरसिटी। ––––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। –––––– रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–29 / 06 / 2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 606 / 14 मे पारित आदेश दिनांक 05 / 11 / 2015 के विरूद्व पेश की है जिसमे अपीलार्थी द्वारा मोके से कब्जा नही हटाने पर पूर्व निर्णय की पालना मे सिविल कारावास के बिन्दु पर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे यह उल्लेख नही किया है कि अतिकमित रकवे पर अपीलार्थी ने क्या फसल काश्त की है अथवा किस तरह अतिक्रमण किया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का अपीलार्थी से विशेष विद्वेष रखते है तथा विद्वेष के कारण ही यह गलत रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है मोके की वस्तुस्थिति जानने की कोशिश नही की है जबकि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण अतिकमित रकबे पर से कब्जा शपथ पत्र अदालत मातहत मे देने से पूर्व ही हटा लिया था। अपीलार्थी पुनः अदालत हाजा के समक्ष भी अपना शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर रहा है कि अपीलार्थी ने अतिकमित आराजी सें अपना अतिचार हटा लिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27 / 05 / 15 की पालना मे अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27 / 05 / 15 की पालना मे अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है जिसकी पालना मे अपीलार्थी ने कब्जा हटाने का शपथ पत्र अदालत मातहत मे पेश किया है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से मोके से अतिक्रमण हटाने की जानकारी चाही है जिसपर

अपील संख्या 47/16 गंगाधर/सरकार

भू–अभिलेख निरीक्षक ने मोके की रिपोर्ट दिनांक 05/11/15 को अदालत मातहत मे पेश की है। मोका रिपोर्ट मे मोके पर वर्तमान मे अपीलार्थी का कब्जा बदस्तूर होना बताया है। अदालत हाजा ने भी अदालत मातहत से अपीलार्थी के अतिक्रमित रकबे की वर्तमान कब्जा रिपोर्ट मंगवायी है जिसमे उन्होने पत्राक 414 दिनांक 27/06/16 से अवगत कराया है कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है मोके पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि मवेशियो के चरने के काम आ रही है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने अतिक्रमित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। भू–अभिलेख निरीक्षक की 05/11/15 को अदालत मातहत मे प्रस्तुत मोके की रिपोर्ट व अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27/06/16 को अदालत हाजा मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे भिन्नता है तथा अदालत मातहत ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे वर्तमान मे भूमि खाली होना बताया है तथा अपीलार्थी ने भी अदालत हाजा मे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने अतिक्रमित आराजी से अपना अतिचार हटा लिया है। अतः लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाया जाकर अपील अपीलार्थी सशर्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अदालत मातहत को इस शर्त के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि अपीलार्थी का अतिचार अतिक्रमित आराजी पर संवत 2073 खरीफ मे नही पाया जावे तो अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त समझा जावे ओर यदि अपीलार्थी का अतिचार पाया जावे तो अपीलाधीन निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर